न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/49/2024	2024/83	06.11.2024	15.07.2025

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र मान सिंह जाति राजपूत,
2. जसवंत सिंह पुत्र मान सिंह जाति राजपूत,
   निवासीयान ग्राम बहाली तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ़, जिला अलवर (राज०)।

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार राजगढ़ दिनांक 16.08.2024 प्रकरण संख्या 02/24

उपस्थितः—
01.श्री सुरेन्द्र शर्मा —वकील अपीलाण्ट्स
02.राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 16.08.2024 प्रकरण संख्या 02/2024 जिसके द्वारा अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित कर अतिक्रमित रकबे से बेदखल कर लगान स्वरूप शास्ति राशि आरोपित की गयी, से व्यथित होकर पेश की है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

वकील अपी0 द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निर्णय दिनांक 16.08.2024 अंतर्गत धारा 91 राज० भू—राजस्व अधि० 1956 तहसीलदार राजगढ जिला अलवर राजस्थान बनाम विरेन्द्र सिंह वगैरा प्र० सं० 02/2024—25 तारीख दायरी दिनांक 03.07.2024 में अपीलाण्टान को आ०ख०नं० 307 रकबा 0.22. वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ में से 0.12 ऐयर का अतिक्रमण. मानते हुए बेदखल करने बाबत निर्णय पारित किया गया है जिसे मन्सुख किए जाने बाबत अपीलाण्टान अप्रार्थी द्वारा निम्न वाजुआत के साथ श्रीमान के समक्ष अपील दायर की है जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि हाल ख0नं0 307 रकबा 0.22 ऐयर वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उपरोक्त ख0न0 307 की भूमि अपीलाण्टान की खातेदारी की आराजी के लगते हुए ग्राम बहाली तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है जिस पर अपीलाण्टान का जमाने बुजुर्गान से अर्सा करीब 100 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है।

ख0न0 307 की भूमि में गैरसायलान अपीलाण्टान के कुल देवी देवताओ के चबुतरे बने हुए है। उक्त ख0न0 307 की आराजी में होकर अपीलाण्टान अपनी खातेदारी की आराजी में आते जाते है। टैक्टर, कृषि यंत्र फसल आदि लाते ले—जाते है। उक्त आराजी की मौके की रिपोर्ट पटवारी हल्का फिरोजपुर ने गैरसायलान अपीलाण्टान का अतिक्रमण होने की रिपोर्ट रंजिशवश न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की जबकि उक्त आराजी पर अपीलाण्टान के बुजुर्गान के समय से उक्त आराजी का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक करते चले आ रहे है। गैरसायलान अपीलाण्टान द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अधिनस्थ न्यायालय कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जिसमें भी सम्पूर्ण तथ्य दर्ज किए जो लिखित बहस के पैरा नं० एक में दर्ज किए जा चुके है। इस पैरा में बार बार पुनरावृति ना हो इसलिए दर्ज नहीं किए गए है और प्रार्थी अपीलाण्टान द्वारा उक्त आराजी को उपयोग में लेने बाबत तथ्य दर्ज किए जाकर प्रार्थी अपीलाण्टान द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उक्त नोटिस की कार्यवाही को इसी स्तर पर ड्रोप किया जावें। परन्तु अधिनस्थ मातहत न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलाण्टान के जवाब व मौखिक बहस व मौके की स्थिति व मौके पर स्थित उक्त आराजी में कुल देवी देवताओ के स्थान जिनकी मान्यता सामाजिक आस्था पूर्वजो के समय से चली आ रही है

अतिरिक्त जिला कलैक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

जिस पर कोई गौर नहीं किया बल्कि हल्का पटवारी द्वारा रंजिशवश पेश की गयी रिपोर्ट को आधार मानकर नोटिस का निर्णय किया गया। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अहम कानूनी भूल की है जो काबिले गौर श्रीमान है।

उक्त प्रकरण की अपील आदेश तहसीलदार साहब के खिलाफ प्रार्थी अपीलाण्टान द्वारा अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय महोदय के पास पेश की हुई है जो विचाराधीन है के दौरान कार्यपालक मजिस्ट्रेट महोदय राजगढ द्वारा दिनांक 05.05.2025 को मौके पर जाकर गैरकानूनी तरीके से प्रार्थी अपीलाण्टान द्वारा अपनी आराजी की सुरक्षा हेतु खम्वे गाडकर लगाए हुए तारो व खम्वो को हटा दिया जबकि अपीलाण्टान द्वारा उक्त अनुवानी अपील का हवाला देते हुए तहसीलदार साहब राजगढ से निवेदन किया कि आदेश दिनांक 16.08.2024 की अपील हमारे द्वारा एडीएम साहब के समक्ष दायर की हुई है जिसका निर्णय ना हो तब तक उक्त आराजीयात के संबंध में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी ना करे परन्तु तहसीलदार साहब व कानूनगो व पटवारी व अधिनस्थ कर्मचारी वगैरा द्वारा मिलकर अपीलाण्टान की खातेदारी की आराजी की सुरक्षा हेतु खम्वो व तारो को जेसीवी द्वारा उखाड दिए तोड दिए गए जिससे काफी खम्बे टूट गए उक्त बात की जानकारी प्रार्थी अपीलाण्टान द्वारा एवं उनके अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रकरण के अपील बावत निवेदन किया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया और खम्वो को तोड दिया गया जिससे प्रार्थी अपीलाण्टान को करीब 20–30 हजार रूपया का आर्थिक नुक्सान हुआ है।

उपरोक्त ख0नं0 307 से प्रार्थी अपीलाण्टान को यदि जबरन बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी अपीलाण्टान को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से नहीं की जा सकेगी। अपील अपीलाण्ट पेश कर न्यायालय श्रीमान जी से निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार साहब राजगढ जिला अलवर का निर्णय दिनांक 16.08.2024 जिसके द्वारा गैरसायलान अपीलाण्टान को उनकी पैत्रिक भूमि ख0न0 307 वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ जिला अलवर से बेदखली के आदेश पारित किए गए उन्हें अपास्त किया जाकर प्रार्थी अपीलाण्टान की अपील स्वीकार की जावें। प्रार्थी अपीलाण्टान द्वारा अपनी अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद अधिनियम का अलग से प्रस्तुत किया गया। उक्त अपील न्यायालय श्रीमान के समक्ष आदेश से एक माह की अवधि में पेश किया जाना कानूनन आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी अपीलाण्टान कार्य काश्त में अधिक व्यस्त होने के कारण तथा उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना न्याय हित में आवश्यक है।

प्रार्थी अपीलाण्टान का प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जावें। अपीलाण्टान द्वारा अपील पेश करने में जो देरी हुई है उसमें प्रार्थी अपीलाण्टान की किसी प्रकार की बदयान्ति नहीं रही है। नेकनियति से अपीलाण्टान द्वारा अपील पेश की गयी है इसलिए दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील का निर्णय किया जावें। अतः श्रीमान के समक्ष लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्टान आदेश दिनांक 16.08.2024 को अपास्त किया जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने की आज्ञा सादिर फरमाने की कृपा करें।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस कथन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा न0 307 रकबा 0.22 ऐयर वाके ग्राम बहाली तहसील राजगढ में स्थित है जो कि अपीलांटान की खातेदारी की आराजी से लगती हुई आराजी है जिस पर अपीलांटान के बुजुर्गान का अर्सा करीब 100 वर्षों से कब्जा चला आ रहा है। आराजी पर अपीलांटान की कुल देवी के चबूतरे बने हुए हैं। उक्त आराजी से अपीलांटान की आराजी में आते जाते हैं। पटवारी हल्का फिरोजपुर ने गैरसायलान अपीलांटान का अतिक्रमण होने की रिपोर्ट रंजिशवश न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश की है। स्वयं की आराजी की सुरक्षा के लिए गाडे गए खम्भों को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तोड दिया गया जिससे अपीलांटान को करीब 20–30 हजार का आर्थिक नुकसान हुआ। अपीलांटान को उक्त आराजी से जबरन बेदखल किया गया तो

जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज०)

अपीलांटान को भारी हानि होगी। तहसीलदार साहब राजगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 को निरस्त किया जावे तथा मिन अपीलांटान की अपील को स्वीकार किया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा वकील अपीलांट के कथनों को नकारते हुए कथन किया कि आराजी खसरा न0 307 रकबा 0.22 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता का भाग है जिस पर अपीलांटान अतिक्रमण रखना चाहते हैं। अपील अपीलांटान खारिज की जावे तथा न्यायालय तहसीलदार द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2024 को यथावत रखा जावे।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन–मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का फिरोजपुर की संवत 2081 की रिपोर्ट दिनांक 02.07.2024 के अनुसार विरेन्द्र सिंह, जसवंत सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत निवासी बहाली द्वारा विवादित आराजी खसरा नं0 307 रकबा 0.22 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से 0.12 है0 रकबे पर गड्डू व तारबन्दी कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। विवादित भूमि की किस्म गैरमुमकिन रास्ता है। पत्रावली पर आए तथ्यों के विश्लेषण से एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 16.08.2024 पारित किया गया है, जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ के निर्णय दिनांक 16.08.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि०
राजस्थान
सरकार
प्रशासन (द्वितीय) अलवर